फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री अनिल **विपक्षी : सुरेन्द्र**

किस्म मुकदमा –88 रा.का. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 179/09**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 02.02.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रतिवादी उपस्थित। वादी का वाद पूर्व में दिनांक 29.03.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका हैं। पत्रावली प्रतिवादी के प्रतिवाद में नियत हैं। अधिवक्ता प्रतिवादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रतिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श डी 1, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रदर्श डी2ए, वसीयतनामा प्रदर्श डी3ए पेश किये। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य प्रतिवादी शपथ पत्र डीडब्ल्यू 1 श्री धनजन्य का पेश किया। प्रतिवाद के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पूर्व में छाउदेवी के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी। वर्तमान में छाउदेवी का स्वर्गवास हो चुका हैं। छाउदेवी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयतनामा दिनांक 30.03.2009 को अपने पोते धनजन्य जोशी के पक्ष में निष्पादित किया। प्रतिवादी सं. 4 उक्त वसीयतनामें के आधार पर मृतक छाउदेवी के नाम दर्ज भूमि को अपने नाम दर्ज कराना चाहता हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 1, 2 मृतक छाउदेवी के पुत्र हैं। प्रतिवादी सं. 1, 2 द्वारा उपस्थित होकर किसी प्रकार की कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। इससे भी प्रतिवादी के प्रतिवाद को बल मिलता हैं। मृतक छाउदेवी द्वारा अपने पोते धनजन्य के पक्ष में वसीयतनामा सम्पादित करना जाहिर होता है जो दस्तावेज प्रदर्श डी3ए से स्पष्ट होता हैं। दस्तावेज के अवलोकन से मृतक छाउदेवी ने प्रतिवादी सं. 4 धनजन्य के पक्ष में वसीयतनामा सम्पादित किये जाने से छाउदेवी के नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी सं. 4 अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

अतः प्रतिवादी का प्रतिवाद स्वीकार कर डिक्री किया जाता हैं कि मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी न. 3597, 3599, 3600, 3601, 3602, 3609 कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा भूमि खातेदार मृतक छाउदेवी के नाम दर्ज 1/4 हिस्से का प्रतिवादी सं. 4 धनजन्य को खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:21 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा, R.A.S

उनवान

1. श्री अनिल पिता भंवरलाल जोशी निवासी 3 रेजीडेन्सी रोड उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. श्री सुरेन्द्र पिता भंवरलाल जोशी निवासी 3 रेजीडेन्सी रोड उदयपुर।
2. श्री नरेन्द्र पिता भंवरलाल जोशी निवासी 3 रेजीडेन्सी रोड उदयपुर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।
4. श्री धनजन्य पिता नरेन्द्र जोशी निवासी 3 रेजीडेन्सी रोड उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 179/09 (वाद) GCMS No. – 2009/00193

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु उपेन्द्र कुमार शर्मा, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

प्रतिवादी का प्रतिवाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा धुणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा की आराजी न. 3597, 3599, 3600, 3601, 3602, 3609 कुल किता 6 रकबा 13 बीघा 6 बिस्वा भूमि खातेदार मृतक छाउदेवी के नाम दर्ज 1/4 हिस्से का प्रतिवादी सं. 4 धनजन्य को खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.02.2024 को जारी की गई।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Upendra Kumar Sharma
Date: 2024.02.23 15:01:21 IST
Reason: SelfAttested